ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(10): 366-369
www.allresearchjournal.com
Received: 04-08-2022
Accepted: 12-09-2022

Dr. M Hassan
Principal, Dr. Zakir Hussain Training College, Laheriasarai, Darbhanga, Bihar, India

Corresponding Author:
Dr. M Hassan
Principal, Dr. Zakir Hussain Training College, Laheriasarai, Darbhanga, Bihar, India

शिक्षा और सामाजिक स्तरीकरण

Dr. M Hassan

सारांश

समाजिक विकास, समान शिक्षा समान रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए एक क्षमान अवसर एवं आर्थिक, सामाजिक कल्याण की भावना से ही संभव है। आज हमारे समाज में बहुत सारे सुधार किए गये है और सकार भी समय-समय पर सुधारात्मक कानून ला कर रिक्षा एवं शिक्षा के महत्त्व को समाज के सभी वर्गों के बीच बता रही है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा समाज के लोगो का विकास होता है। देश में प्रचीन काल से समाज में वैदिक ब्राह्मणीय एवं बौद्ध शिक्षा दी जाती रही जिस पर धर्म का प्रभाव था लेकिन आज विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान का प्रभाव समाज पर हो जाने से हमारे देश के सामाजिक स्तर पर परिवर्तन हुआ है। इसके फलस्वरूप शिक्षा का सारा पाठ्यक्रम विज्ञान एवं तकनीकी शास्त्र का शिक्षा का केन्द्र बनाने में लगा दिया गया है। धर्म निरपेक्षता से शिक्षा दी जाने लगी है, जिससे शिक्षा का उद्देश्य जो आर्थिक विकास से होते हुए उच्चस्तरीय जीवन शैली के साथ आर्दश एवं मूल्य भी समाजिक स्तरीकरण के कारण गए हो है। सामाजिक सुदृढ़ता एवं सामाजिक एकीकरण के लिए शिक्षा ही अम भूमिका निभाती है। इस आलेख के माध्यम से मैं यह विशलेषण करना चाहता है कि शिक्षा किस तरह से समाज के पुर्नसंगठीत करने की प्रक्रिया एवं साधन बन गई है। एवं इसमे सरकार एवं समाज के शिक्षित वर्ग की क्या भूमिका है।

कूटशब्द: सामाजिक विकास, समान शिक्षा, सामाजिक कल्याण सुधारात्मक कानून, विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक एकीकरण।

प्रस्तावना

आज शिक्षा समाजिकरण की प्रक्रिया से समान के लोगों मे 'भ्रातृभावना' का विकास हो रहा है। शिक्षा निश्चय ही सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण साधन है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि समाजिक स्तरीकरण शिक्षा के कारण स्थापित एवं दृढ़ होता है। इस संबंध मे प्रो. गार्डनर मर्फी ने लिखा है कि "वह (समाज का सदस्य) समय पाकर उस प्रकार का मनुष्य बन जाता है, जो चीजो को कार्यों के रूप मे देखता है; जिन्हे पूरा करना उसने सीखा है और जिसके पूरा करने मे समुदाय मे उसे स्थान मिलता है। शिक्षा चाहे जिस भी क्षेत्र मे हो उसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल, स्वभाव एवं संस्कृति के अनुकूल स्तर को भी निश्चित करता है।

शिक्षा के क्षेत्र मे सरकार द्वारा बजान गए कानून एवं सामाजिक स्तरीकरण का प्रयास:

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009:

- भारत के छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा।

- प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी।
- ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी, तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया / पायी है, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा; बशर्ते कि सीधे तौर से दाखिला लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष ट्रेनिंग दी जानी होगी, जो प्रस्तावित हो। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाला / वाली बच्चा/बच्ची को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रवेश के लिए उम्र का साक्ष्य: प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण कानून, 1856 या ऐसे ही अन्य कागजात के आधार पर किया जाएगा जो उसे जारी किया गया हो। उम्र प्रमाण नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जा सकता।
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा;
- एक निश्चित शिक्षक छात्र अनुपात की सिफारिश:
- जम्मू-कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू होगा;
- आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25 फीसदी का आरक्षण;
- शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार;
- स्कूल शिक्षक को पांच वर्षों के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी;
- स्कूल का बुनियादी ढांचा (जहां यह एक समस्या है) 3 वर्षों के भीतर सुधारा जाए अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
- वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बीच साझा किया जाएगा।

इस विधेयक मे 6 से 14 साल के आयु वर्ग को चुनने का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है और इस आयु वर्ग के बच्चो को शिक्षा देने से उनके भविष्य का आधार तैयार हो सकेगा। बच्चो को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना मौलिक अधिकार बन गया हैं।

अन्य संसोधन एवं अधिनियम

- संविधान का अनुच्छेद 21-ए-संविधान का 86 वाँ संसोधन अधिनियम 2002
- शिक्षा का अधिकार विधेयक-2005
- राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग
- शिक्षा में अधिकार अधिनियम की धारा 35(1) के तहत दिशा-निर्देश।

सामाजिक स्तरीकरण के साथ बच्चो की शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चालाए गए कार्यक्रम

- **संस्थागत सुधार-** सर्व शिक्षा अभियान के एक भाग के रूप में राज्यों में संस्थागत सुधार किए जाएंगे। राज्यों को अपनी मौजूदा शैक्षिक पद्धति का वस्तुपरक मूल्यांकन करना होगा जिसमें शैक्षिक प्रशासन, स्कूलों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय मामले, विकेन्द्रीकरण तथा सामुदायिक स्वामित्व, राज्य शिक्षा अधिनियम की समीक्षा, शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों की तैनाती को तर्कसम्मत बनाना, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन, लड़कियों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा सुविधाविहीन वर्गो के लिए शिक्षा, निजी स्कूलों तथा ई. सी. सी. ई. संबंधी मामले शामिल होगें। कई राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार के लिए संस्थागत सुधार भी किए गए हैं।
- **सतत वित्त पोषण-** सर्व शिक्षा अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का वित्त पोषण सतत् जारी रखा जाए। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहभागिता पर दीर्धकालीन परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा है।
- **सामुदायिक स्वामित्व-** इस कार्यक्रम के लिए प्रभावी विकेन्द्रीकरण के जरिए स्कूल आधारित कार्यक्रमों में सामुदायिक स्वामित्व की अपेक्षा है। महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा।
- **संस्थागत क्षमता निर्माण-** सर्व शिक्षा अभियान द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान/ राष्ट्रीय शिक्षक

शिक्षा परिषद् /राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् /सीमेट (एस.आई. ई. एम. ए. टी.) जैसी राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गयी है। गुणवत्ता में सुधार के लिए विशषज्ञों के स्थायी सहयोग वाली प्रणाली की आवश्यकता है।

- **शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख धारा में सुधार-** इसमें संस्थागत विकास, नयी पहल को शामिल करके और लागत प्रभावी और कुशल पद्धतियां अपनाकर शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार करने की अपेक्षा है।
- **पूर्ण पारदर्शिता युक्त सामुदायिक निरीक्षण-** इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित पद्धति अपनायी जायेगी। शैक्षिक प्रबंध सूचना पद्धति, माइक्रो योजना और सर्वेक्षण से समुदाय आधारित सूचना के साथ स्कूल स्तरीय आंकड़ों का संबंध स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्कूल एक नोटिस बोर्ड रखेगा जिसमें स्कूल द्वारा प्राप्त किये गए सारे अनुदान और अन्य ब्यौरे दर्शाए जाएंगे।
- **योजना इकाई के रूप में बस्ती-** सर्व शिक्षा अभियान आयोजना की इकाई के रूप में बस्ती के साथ योजना बनाते हुए समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर कार्य करता है। बस्ती योजनाएं जिला की योजनाएं तैयार करने का आधार होंगी।
- **समुदाय के प्रति जवाबदेही-** सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों, अभिभावकों और पंचायतीराज संस्थाओं के बीच सहयोग तथा जवाबदेही एवं पारदर्शिता की परिकल्पना की गयी है।
- **लड़कियों की शिक्षा-** लड़कियों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य होगा।
- **विशेष समूहों पर ध्यान-** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों, वंचित वर्गो के बच्चों और विकलांग बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **परियोजना पूर्व चरण-** सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में सुनियोजित रूप से परियोजनापूर्व चरण प्रारम्भ करेगा जो वितरण और निरीक्षण (मॉनीटरिंग) पद्धति को सुधार कर क्षमता विकास के कार्यक्रम चलाएगा।
- **गुणवत्ता पर बल देना-** सर्व शिक्षा अभियान पाठ्यचर्या में सुधार करके तथा बाल केन्द्रित कार्यकलापों और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा को उपयोगी और प्रासंगिक बनाने पर विशेष बल देता है।
- **शिक्षकों की भूमिका-** सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है और उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने का समर्थन करता है। प्रखंड संसाधन केन्द्र / सामूहिक संसाधन केन्द्र की स्थापना, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यचर्या से संबंधित सामग्री के विकास में सहयोग के जरिये शिक्षक विकास के अवसर, शिक्षा संबंधी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना और शिक्षकों के एक्सपोजर दौरे, शिक्षकों के बीच मानव संसाधन को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं।
- **जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाएँ-** सर्व शिक्षा अभियान के कार्य ढाँचे के अनुसार प्रत्येक जिला एक जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना तैयार करेगा जो संकेद्रित और समग्र दृष्टिकोण से युक्त प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सभी निवेशों को दर्शाएगा।
- **जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना-** सर्व शिक्षा अभियान ढाँचा के अनुसार प्रत्येक जिला प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में समग्र एवं केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ, निवेश किये जाने वाले और उसके लिए जरूरी राशि को प्रदर्शित करने वाली एक जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगी। यहाँ एक प्रत्यक्ष योजना होगी जो दीर्घावधि तक सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की गतिविधियों को ढ़ाँचा प्रदान करेगा। उसमें एक वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट भी होगा जिसमें सालभर में प्राथमिकता के आधार पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों की सूची होंगी। प्रत्यक्ष योजना एक प्रामाणिक दस्तावेज होगा जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन के मध्य में निरन्तर सुधार भी होगा।

निष्कर्ष

शिक्षा और सामाजिक स्तरीकरण में कितना घनिष्ठ सबंध है यह हमे ऊपर के विचारो से ज्ञात होता है। सरकार समय-समय पर तरह-तरह के कल्यणात्म एवं सुधारात्मक कार्यक्रम एवं अधिनियम बना कर समाज मे शिक्षा का सामावेषण करना चाहती है जिससे समाज मे हरेक वर्ग के लोगों का स्तर ऊँचा उठ सके। समाज मे कोई भी व्यक्ति अवसरों के अभाव में पीदे न रह जाए, चाहे वह जो भी क्षेत्र को जाना चाहता है वह जा

सकता है एवं सर्व शिक्षा कार्यक्रम एवं अन्य कानूनो के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सकता है, सभी शिक्षत एवं प्रशिक्षत होगो तभी समाज आर्थिक, नैतिक भौतिक एवं राजनीतिक रूप से विकसित एवं संगठीत होगा। आज देश मे सभी लोग देश के बहार भी अपनी प्रतिभा दिखा कर अपने स्तर को ऊँचा उठा रहे है इसके मूल मे शिक्षा दी पाई जाती है।

संदर्भ

1. ब्रोग, डब्लू. आर. (2013). एज्युकेशन रिसर्च एण्ड एन इन्ट्रोडेक्शन. न्यूयार्क: लॉग मेन्स ग्रीन एण्ड कम्पनी
2. वेणु सदगोपाल (2015). हमारी शिक्षा नीति और हमारे स्कूल. जयपुर: दिगंत्तर संस्थान
3. श्रीवास्तव आर. एस. (2013) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली
4. चैहान एम. एल. (2012), शिक्षा का अधिकार, नई शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका, जयपुर
5. राय, एस. (2014). स्वतन्त्रता विशेषांक. आधुनिक भारतीय शिक्षक. नई दिल्ली: नेशनल काउसिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेंनिग